

विधानसभा सत्र जुलाई-2019 का (अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक-244) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया दि. 01/07/2019 से दि. 09/07/2019 के प्रश्नांश (क) का उत्तर का परिशिष्ट "अ" पेज संख्या 01 से 02 तक

परिशिष्ट-3

क्र.	जिले का नाम	जिले में पंजीकृत चिकित्सालयों संख्याओं की संख्या	शिकायत किये गये जिली चिकित्सालय का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	शिकायत कहां की गई	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्रवाई
1	रतलाम	32	रतलाम हॉस्पिटल	श्री राजेश ठाकुर, रतलाम	हॉस्पिटल की लापरवाही से आवेदक की बहन की मृत्यु	कलेक्टर जिला रतलाम	जॉब के आधार पर चिकित्सक निर्दोष पाई गई। इलाज किया गया था।
			माहेश्वरी नर्सिंग होम रतलाम	श्री विकास परमार दि. जगरे नगर, रतलाम	आवेदक की पुत्री के हाथ का इलाज गलत होने के कारण हाथ सीधा नहीं हो रहा है।	कलेक्टर जिला रतलाम	जॉब के आधार पर चिकित्सक द्वारा उचित इलाज किया गया था।
			अकुर हॉस्पिटल रतलाम	श्री पृथ्वीराज सिंह, ग्राम भुवास तहसील खीचरोद जिला उज्जैन	गर्भावस्था के दौरान हॉस्पिटल की लापरवाही से शिशु की मृत्यु	कलेक्टर जिला रतलाम	जॉब न्यायालय में विचारधीन है
2	शाजापुर	12	आधुनमान हॉस्पिटल हॉस्पिटल तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर	श्री सोनु पिता श्री मोहन लाल जी	डॉक्टर की लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाने बाबत	धाना प्रमारी, पुलिस धाना शुजालपुर को को गई जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।	जॉब दल गठित कर कार्रवाई प्रचलन में है।
3	उज्जैन	52	जे.के. हॉस्पिटल उज्जैन	श्री कैलाश पिता जगन्नाथ गुजर	मेरे पिता के साथ क्रूर कृत्य जहरीली दवाइयाँ देने बाबत	प्रकरण जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त	प्रकरण की जॉब करवाई गई। प्राप्त प्रतिवेदन में दिये गये अभिलेख के अनुसार कदाचार एवं लूट खराोट जैसा कोई तथ्य साबिति के संज्ञान में नहीं आया परंतु उक्त जिली चिकित्सालयों में व्यवस्थागत कमियाँ अवश्य पाई गई है। जिस हेतु संबंधित जिली चिकित्सालयों को कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किये गये है।
			संचालक भार्गव हार्ट हॉस्पिटल राजसख कौलोनी उज्जैन, संचालक देशमुख हॉस्पिटल एण्ड रिस्वर्च सेन्टर सांवेर सोड जिला उज्जैन, संचालक सजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिस्वर्च सेन्टर दशहरा भेदान जिला उज्जैन.	श्री राम नागवशी	देशमुख हॉस्पिटल एण्ड रिस्वर्च सेन्टर/सजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिस्वर्च सेन्टर तथा डॉ. अनिल भार्गव हार्ट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम उज्जैन में चल रही अनिर्गमिताएँ/कदाचार/आयकर बोरी की मंशा से प्रदत्त कच्चा व पक्का निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के दृष्टान्तों के आधार पर लोकहित में उचित न्यायसंगत कार्रवाई करने बाबत	संयुक्त संचालक (अ.प्र.) संचालनलय स्वास्थ्य संवर्धन म.प्र. नोपाल उपायुक्त (राजसख) महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य संवर्धन उज्जैन संभाग उज्जैन श्री राम नागवशी संचालक, सुझाव मंच के द्वारा कार्यालय में प्राप्त	

Ujjain

संयुक्त संचालक (अ.प्र., प्रशा.)  
संचालनलय स्वास्थ्य संवर्धन  
भारतदेश

क्र.	जिले का नाम	जिले में एकीकृत शिक्षण संस्थाओं की संख्या	शिकायत किये गये निजी शिक्षण संस्था का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	शिकायत कहीं की गई	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
	मन्दासौर	67	डॉ. मुकेश बागड़ी	मनोज पिता सुरेश चन्द पाटीदार	पैथोलॉजी जाँच के संबंध में।	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य संघ एवं उच्चैय समिति कायालय।	डॉ. सौरभ मडवारिया पैथालॉजी द्वारा जाँच की गई। जिसमें डॉ. मुकेश बागड़ी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट सही पाई।
4			डॉ. सुरेश जैन	श्री अजय रातडीय निवासी दलौदा	शुटी जाँच रिपोर्ट के संबंध में	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं उच्चैय समिति कायालय।	औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जाँच की गई, शिकायत कर्ता के द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।
5	आगरा-मालवा	8	न्यू ओ.सी.सी.टी. आगरा के डाक्टर प्रबोधक एवं सहायक डॉ.एस.आर. चौहान, श्री शमसुद्दीन पिता अली मोहम्मद	श्रीमती प्रेम बाई पति मोहनलाल शिवपहाडी कानड	कर्मी पथरी के ऑपरेशन संबंधित शिकायत	जनसुनवाई में।	कलेक्टर जिला आगरा-मालवा के द्वारा कराई गई जाँच उपरान्त एक.आई.आर क्रमांक/0041 दिनांक 14/01/2019 दर्ज कराई गई।
	देवास	40	अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास	नितोफर पति तसलीम शेख	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
			सरकाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	श्रीमती पार्वती पति रतनलाल	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
			सिटी हॉस्पिटल देवास	बनेसिंह पिता मागीलाल	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
6			देवकर नर्सिंग होम देवास	केलाय पिता विश्राम	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
			सेवल नर्सिंग होम नाहर दरवाजा देवास	नाम गोपनीय	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
			आद्या नर्सिंह होम देवास	गुजराम विरनाई	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
			देवारा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	सतमान पिता सलीम	गलत उपचार के संबंध में	मुख्य शिक्षण एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास को	प्राप्त शिकायत का समिति बनाकर जाँच कर निराकरण किया गया।
7	नीमच	112	किरी निजी स्वास्थ्य संस्था के शिक्षण कोर्ड भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

परिशिष्ट - 3

Ushuk

संयुक्त संचालक (स्वास्थ्य, प्रशासन) संयुक्त संचालक (स्वास्थ्य सेवा) संयुक्त संचालक (स्वास्थ्य सेवा)

विधानसभा सत्र जुलाई-2019 का (अतारांकित प्रश्न क्रमांक:-244) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया दि. 01/07/2019 से दि. 09/07/2019 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर का परिशिष्ट "ब" पेज संख्या 01

क्र.	जिले का नाम	सर्जन के कुल स्वीकृत पद	सर्जन के कुल रिक्त पद
1	मन्दसौर	15	13
2	शाजापुर	8	5
3	उज्जैन	15	10
4	आगर-मालवा	7	6
5	देवास	12	10
6	नीमच	9	8
7	रतलाम	7	6
	कुल	73	58

*Udesh*  
संयुक्त संचालक (अस्प. प्रशा.)  
संजालनालय स्वास्थ्य संघर्ष  
मध्यप्रदेश.